न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 27/2012

1. श्रीमती धारा देवी पुत्री श्री दौलाराम जाति जाट, मूल निवासी रामनेर ढाणी हाल निवासी डोडियाना, तहसील डेगाना, जिला नागौर।
2. श्रीमति रामेश्वरी पुत्री श्री रामसुख जाट, मूल निवासी रामनेर ढाणी हाल निवासी कोड, तहसील डेगाना, जिला नागौर।

.....अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर
2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भू–प्रबन्ध विभाग अजमेर

......रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1. श्री निर्मल कुमार जैन — अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री ओम प्रकाश गुर्जर — राजकीय अभिभाषक

आदेश **दिनांक :–01.07.2025**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रामनेर ढाणी स्थित के खातेदार श्री दौलाराम पुत्र श्री अमराराम एवं श्री रामसुख पुत्र श्री अमराराम जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनका अपीलाधीन विरासत नामांतरकरण जो स्वीकृत किया गया है जो कि श्री दौलाराम एवं रामसुख के समस्त वारिसान के नाम स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि खातेदार श्री दौलाराम के वारिस हीरादेवी पत्नी दौलाराम, भागचंद पुत्र दौलाराम एवं अपीलार्थी संख्या 1 श्रीमती धारा देवी कि इनमें से पत्नी श्रीमती हीरादेवी व भाई भागचन्द जिसका कि अविवाहित स्वर्गवास हो चुका है। इसी प्रकार श्री रामसुख का भी स्वर्गवास हो चुका है, के वारिस सुगनादेवी पत्नी रामसुख, श्रवणलाल पुत्र रामसुख एवं अपीलार्थी संख्या 2 रामेश्वरी पुत्री रामसुख के इनमें से श्रीमती सुगनादेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा श्रवणलाल अविवाहित फौत हो चुका है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि कि जिसके विरासत के अनुसार अपीलार्थीगण भी [illegible] है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण जो कि अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत नहीं किया गया जबकि अपीलार्थीगण भी वारिस है इस सदंर्भ में ग्राम पंचायत रामनेर ढाणी द्वारा सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 6.6.2012 को जारी किया गया, के अनुसार विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थीगण के नाम भी स्वीकृत किया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में खातेदार दौलाराम व रामसुख के समस्त वारिसान के नाम विरासत नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी निर्णय नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 05.12.1991 सें असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

जिला कलक्टर
अजमेर

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। उभय पक्ष को सुना गया।

सर्वप्रथम रेस्पों. अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील मयाद बाहर होने से मयाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के कथनों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण जो कि ग्रामीण व अशिक्षित महिला है, जिनके द्वारा पटवारी हल्का से दिनांक 21.06.2012 को यह जानकारी की गई कि उनके पिता का स्वर्गवास हो चुका है तथा उनके नाम विरासत नामान्तरकरण के संदर्भ में वर्तमान जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति की मांग की गई। इस पर प्रार्थीगण को यह बताया कि विरासत नामान्तरकरण जो कि दिनांक 05.12.1991 को ही हो चुका है किन्तु प्रार्थीगण के नाम विरासत नामान्तरकरण नहीं हुआ। विरासत नामान्तरकण की प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 22.06.2012 को मांग की गई। अतः जानकारी के अभाव में बिना किसी विलम्ब के यह अपील प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त कारणों से अपील प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाकर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमावें। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई। अपीलान्ट अभिभाषक ने दौराने बहस अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम रामनेर ढाणी स्थित के खातेदार श्री दौलाराम पुत्र श्री अमराराम एवं श्री रामसुख पुत्र श्री अमराराम जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनका अपीलाधीन विरासत नामांतरकरण जो स्वीकृत किया गया है जो कि श्री दौलाराम एवं रामसुख के समस्त वारिसान के नाम स्वीकृत नहीं किया गया है जबकि खातेदार श्री दौलाराम के वारिस हीरादेवी पत्नी दौलाराम, भागंचद पुत्र दौलाराम एवं अपीलार्थी संख्या 1 श्रीमती धारा देवी कि इनमें से पत्नी श्रीमती हीरादेवी व भाई भागचन्द जिसका कि अविवाहित स्वर्गवास हो चुका है। इसी प्रकार श्री रामसुख का भी स्वर्गवास हो चुका है, के वारिस सुगनादेवी पत्नी रामसुख, श्रवणलाल पुत्र रामसुख एवं अपीलार्थी संख्या 2 रामेश्वरी पुत्री रामसुख के इनमें से श्रीमती सुगनादेवी का स्वर्गवास हो चुका है तथा श्रवणलाल अविवाहित फौत हो चुका है। इस प्रकार अपीलाधीन भूमि कि जिसके विरासत के अनुसार अपीलार्थीगण ही वारिस है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण जो कि अपीलार्थीगण के नाम स्वीकृत नहीं किया गया जबकि अपीलार्थीगण भी वारिस है इस सदंर्भ में ग्राम पंचायत रामनेर ढाणी द्वारा सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 6.6.2012 को जारी किया गया, के अनुसार विरासत का नामांतरकरण अपीलार्थीगण के नाम भी स्वीकृत किया जाना चाहिए था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में खातेदार दौलाराम व रामसुख के समस्त वारिसान के नाम विरासत नामांतरकरण स्वीकृत नहीं किया गया। अतः अपील अपीलार्थीगण मय खर्चे स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विरासत नामांतरकरण दिनांक 5.12.1991 को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थीगण के नाम भी विरासत नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करे।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील संधारण योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जावे।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभय पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम रामनेर ढाणी तहसील अजमेर के नामान्तकरण संख्या 131 दिनांक 5.12.1991 के खातेदार के फौत होने पर उसके सभी वारिसानों की जांच किए बगैर अपीलाधीन नामा. सं. 131 दिनांक 05.12.1991 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुनवाई साक्ष्य का अवसर दिये बगैर विधि विरूद्ध पारित किया है जिसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों को दृष्टिगत नहीं रखा है। ग्राम पंचायत रामनेर ढाणी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2012 के अनुसार अपीलान्ट मृतक खातेदार श्री दौलाराम पुत्र अमराराम की पुत्री धारा देवी व ग्राम पंचायत रामनेर ढाणी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.12 के अनुसार मृतक खातेदार रामस्वरूप पुत्र अमराराम की पुत्री रामेश्वरी दर्शायी है पुत्रियों का भी हक हिस्सा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होने से तथा आक्षेपीय नामान्तरकरण में अपीलान्ट की पुत्रियों का नाम शामिल नहीं करने की सूरत में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 131 दिनांक 05.12.1991 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार अजमेर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक खातेदार दौलाराम व रामसुख के समस्त विधिक वारिसानों की जांच कर दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर

न्यायालय जिला कलक्टर
अजमेर